उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 130/2025–26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, **परिवादी**
वार्ड नं0 02, दुर्गा कालोनी, नियर गिरीताल रोड, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा पुराना विद्युत खाता संख्या–40111440281 जोकि श्रीमती शीला देवी के नाम से था जिसे बन्द कराकर नया विद्युत खाता संख्या–42500068994 श्री रघुवीर सिंह के नाम पर लिया गया है। उक्त कार्यवाही के सम्पूर्ण दस्तावेज/धनराशि विद्युत विभाग में जमा करा दी गयी थी। उसके उपरान्त लगभग 15 से 20 दिन में विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के घर से पुराना मीटर उतार कर नया विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया था। परन्तु लगभग एक से डेढ़ माह बाद विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया गया, उस समय विभाग द्वारा पुराने मीटर उतारकर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे थे, जिसमें प्रार्थी का मीटर भी उतार दिया गया जोकि कुछ दिन पहले ही लगाया गया था। विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर तो लगा दिया, परन्तु आतिथि तक स्मार्ट मीटर की सीलिंग अपडेट नहीं होने के कारण पिछले 04–05 माह से बिल जारी नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी बहुत बार विभाग में जाकर मौखिक/लिखित रूप से शिकायत भी कर चुका है, लेकिन आतिथि तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी/फर्म को पुराना डेटा भी उपलब्ध कराया गया था, जिसमें प्रार्थी का पुराने कनेक्शन से सम्बन्धित विवरण भी था। इसके उपरान्त भी स्मार्ट मीटर एवं अन्य शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण आमजनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर को उपडेट कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत से सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

क्रमशः 2....

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 02.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.09.2025, 23.09.2025, 09.10.2025 व 25.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7625 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मापक की सीलिंग सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाई थी, जिसे वर्तमान में आर.ए.पी.डी.आर.पी. सिस्टम में प्रविष्टि कर दी गई है। साथ ही परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मापक पाठ्यांक के आधार पर संशोधित बिल रू0 28802.00 का जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 133/2025–26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दलीप सिंह चौहान पुत्र श्री डाल चन्द, परिवादी
पता–देवहारी, नरखेड़ा, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री दलीप सिंह चौहान पुत्र श्री डाल चन्द का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–369BR23120446 (05 किलोवाट घरेलू) का माह दिसम्बर 2020 से माह मई 2022 तक विद्युत आपूर्ति नहीं हुई है, जिस दौरान गलत बिल जारी किए गये है। अतः विद्युत बिलों को संशोधित किया जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 09.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2025, 09.10.2025 व 25.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3559 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में 12/2020 से दिनांक 28.05.2022 तक संयोजन में विद्युत सप्लाई उपलब्ध न होने की बात कही गयी है, जिसके सन्दर्भ में अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2021 में परिवादी का विद्युत परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया था। खेत में फसल होने के कारण परिवादी की विद्युत

क्रमशः 2....

सप्लाई अन्य परिवर्तक से चालू की गई थी। माह 07 / 2021 में परिवादी द्वारा बकाया विद्युत बिल जमा करने के उपरान्त परिवादी का क्षतिग्रस्त परिवर्तक को बदला गया था। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री में भी उक्त समयावधि के समस्त बिल मीटर यूनिट में निर्गत किए गये हैं। दिनांक 25.05.2022 को उक्त विद्युत संयोजन का मापक विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार मापक खराब (No Display) होने के कारण परिवर्तित भी किया गया। जिसके पश्चात भी वर्ष 2022 से वर्तमान तक परिवादी को समस्त बिल मीटर यूनिट में निर्गत किये जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट, सीलिंग प्रमाण पत्र, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को संयोजन स्थापित होने के उपरांत लगातार मीटर में अंकित विद्युत खपत के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह दावा किया गया है कि, "माह 12 / 2020 से 28.05.2022 तक की अवधि में उनके संयोजन पर विद्युत आपूर्ति नहीं रही।" परिवादी के उपरोक्त कथन के जवाब में विपक्षी विभाग द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, "वर्ष 2021 में परिवादी का विद्युत परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त खेत में फसल होने के कारण परिवादी की विद्युत सप्लाई अन्य परिवर्तक से चालू की गई थी। माह 07 / 2021 में परिवादी द्वारा बकाया बिल जमा किए जाने पर उसका क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया था। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री से भी स्पष्ट होता है कि उक्त समयावधि में परिवादी को समस्त बिल मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किए गये। दिनांक 25.05.2022 को उक्त संयोजन का मापक भी खराब (No Display) होने के कारण बदला गया था।"

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी को उपरोक्त प्रश्नगत अवधि में भी लगातार मीटर यूनिट के बिल निर्गत किए गए हैं, जिससे विपक्षी विभाग का उपरोक्त तर्क कि, *वर्ष 2021 में परिवादी का विद्युत परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त खेत में फसल होने के कारण परिवादी की विद्युत सप्लाई अन्य परिवर्तक से चालू की गई थी। माह 07 / 2021 में परिवादी द्वारा बकाया बिल जमा किए जाने पर उसका क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदला गया था,* सही प्रतीत होता है। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा जारी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—15 / 640 से भी इस बात की पुष्टि होती है कि दिनांक 25.05.2022 को परिवादी के संयोजन पर लगे खराब मीटर को बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया। उक्त सीलिंग प्रमाण पत्र पर उपभोक्ता प्रतिनिधि श्रीमती संगीता देवी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। वर्तमान शिकायत की सुनवाई हेतु नियत की गई तिथियों पर भी कभी परिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी विभाग के जवाब दावे पर परिवादी द्वारा समुचित अवसर मिलने पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से परिवादी का यह कथन कि, *"माह 12 / 2020 से 28.05.2022 तक की अवधि में उनके संयोजन पर विद्युत आपूर्ति नहीं रही",* असत्य एवं निराधार साबित होता है। अतः असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत अवधि के बिल संशोधित करने की परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

क्रमशः 3....

परिवाद संख्या–133 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 152 / 2025–26 दिनांक : 27.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मंजू अग्रवाल, परिवादी
712 मॉडल कालोनी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मंजू अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU7A143344220 (10 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। जबकि उनके उक्त विद्युत संयोजन पर सौलर पेनल भी लगा है। सौलर पेनल लगने के बाद से ही विद्युत बिल दोगुनी राशि का बनाया जा रहा है, जोकि वास्तविक विद्युत खपत से बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादिनी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3533 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बीजक एम.आर.आई. में दर्ज Import व Export डाटा के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि परिवादिनी को जारी विद्युत बीजक सही है जिसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने

क्रमशः 2....

जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 17.09.2025 को प्रेषित बिल में Import unit 4584 Kwh व 4621 Kvah एवं Export unit 20 Kwh व 21 Kvah दर्ज है। उक्त Import व Export डाटा के आधार पर परिवादी को कुल 4564 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के मापक की एमआरआई रिपोर्ट से उपरोक्त Import व Export रीडिंग की पुष्टि होती है। इस मंच का मानना है कि विपक्षी विभाग द्वारा एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित बिल सही एवं नियमानुकूल है, जिस पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 163/2025–26 दिनांक : 27.11.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, परिवादी
बहादुर गंज, दोराहा, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3671101033585 (05 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल का भुगतान दिनांक 09.01.2025 को धनराशि रू0 1,36,000.00 एवं दिनांक 25.07.2025 को धनराशि रू0 1,23,766.00 का किया गया है। इसके उपरान्त विद्युत बिल में पते को संशोधित कराया गया। विभाग द्वारा 02 माह की अवधि हेतु रू0 7,51,719.00 का बिल जारी किया गया है, जोकि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 14.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.10.2025 व 07.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3843 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 14.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी, दोराहा द्वारा विभाग के अधिकारीयों/कर्मचारियों के साथ विद्युत चैकिंग की गयी, जिसमें परिवादी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू विधा से वाणिज्यिक विधा (होटल) में विद्युत का प्रयोग किया

क्रमशः 2....

जा रहा था। इसके उपरान्त परिवादी पर विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा जारी रेग्यूलेशन्स–2007 के अन्तर्गत विद्युत चोरी का राजस्व निर्धारण कर रू0 7,08,610.00 जारी किया गया है। जिसकी सूचना परिवादी को खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1590/वि0वि0ख0(बा0) दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से दे दी गई थी। इसके उपरान्त परिवादी द्वारा एक पत्र के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन दिया गया जोकि तर्कसंगत न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा अनन्तिम राजस्व निर्धारण को ही अन्तिम राजस्व निर्धारण कर दिया गया है। जिसकी सूचना परिवादी को खण्ड कार्यालय के पत्रांक 2083/वि0वि0ख0(बा0) दिनांक 30.09.2023 के माध्यम से दे दी गई थी। परिवादी द्वारा उक्त राजस्व निर्धारण का भुगतान न करने के कारण खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या–214 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से परिवादी के नाम देयों की वसूली अधिनियम 1958 की धारा 3 के अधीन डिमाण्ड नोटिस भी जारी किया गया है, परन्तु उक्त धनराशि का भुगतान दिनांक 11.09.2025 तक नहीं किया गया। जिस कारण उक्त राजस्व निर्धारण को विभागीय नियमानुसार दिनांक 12.09.2025 को परिवादी के विद्युत बिल में जोड़ दिया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप राजस्व निर्धारण नोटिस, विद्युत चोरी चैकिंग रिपोर्ट व निर्धारण शीट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–126 से संबंधित है। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointments of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation, 2019 के विनियम–3.1(4) के अनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–126 से संबन्धित प्रकरणों में सुनवाई करना अथवा उसमें निर्णय पारित करना इस मंच का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 134/2025—26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमला जोशी पत्नी श्री योगेश चन्द्र जोशी, परिवादी
पता—वार्ड नं0 08, टनकपुर रोड ग्राम अमाऊँ, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमला जोशी पत्नी श्री योगेश चन्द्र जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—KH2K252838822 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. हेतु पिछले एक महीने से वह मीटर रीडर से सम्पर्क कर रहे है, मीटर रीडर हर बार झूठा आश्वासन देकर टाल देता है। बार—बार हो रही देरी से अनावश्यक असुविधा हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर. आई. कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 09.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2025, 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक—2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1662 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 07.01.2025 को सोलर रूफ टॉप स्थापित हुआ। दिनांक 16.04.2025 को सोलर विद्युत मापक की एम.आर.आई. के आधार पर 639 केडब्लूएच (Import Unit-809 KWH एवं Export Unit-1413 KWH Total= Export Unit- 604 KWH)

क्रमशः 2....

के आधार पर रू0 (–)1089.00 का विद्युत बीजक निर्गत किया गया है। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा दिनांक 22.09.2025 को एम.आर.आई. रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई एम.आर.आई. रिपोर्ट पाठ्यांक 2882 केडब्लूएच (Import Unit-2243 KWH एवं Export Unit- 1893 KWH Total= Import Unit- 350 KWH) के आधार पर रू0 1761.00 का विद्युत बीजक निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैठाणी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 164/2025–26 दिनांक : 27.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री श्यामलाल, परिवादी
म0नं0 106, ग्राम मलसी, पो0–बिगवाड़ा, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री श्यामलाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके निवास स्थान मकान नं0 106, ग्राम मलसी, पो0–बिगवाड़ा, किच्छा रोड, रूद्रपुर के ठीक सामने एक बिजली पोल लगा हुआ है। इस पोल की स्थिति के कारण परिसर से अन्दर बाहर प्रवेश करने में लगतार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ इस पोल पर लगे विद्युत तार घर के बहुत नजदीक है, जिससे काफी खतरा बना रहता है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर के सामने लगे विद्युत पोल को उचित स्थान पर स्थापित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 14.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4662 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी के परिसर का स्थलीय

क्रमशः 2...

परिवाद संख्या–164 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

निरीक्षण कर, कार्य का प्राक्कलन बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु, खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उक्त प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बन्धित परिवादी को भुगतान हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया जायेगा। साथ ही पूर्ण भुगतान राशि जमा होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत पोल शिफ्टिंग कॉपी की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत विद्युत पोल की शिफ्टिंग से संबंधित है। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointments of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation, 2019 के विनियम–3.1(5) के अनुसार विद्युत पोल की शिफ्टिंग से संबन्धित प्रकरणों की सुनवाई करना अथवा उसमें निर्णय पारित करना इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 169/2025–26 दिनांक : 27.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

**मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड,
शान्तिपुरी नं0 02, किच्छा।** परिवादी

बनाम

**अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।** विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000010677 (20 किलोवाट व्यवसायिक) का माह अगस्त 2025 के लिए जो बिल जारी किया गया है उसमें असामान्य यूनिट 60561 खपत दर्शाते हुए रू0 498554.00 का बनाया गया है, जो बहुत अधिक है। जबकि खपत की अवधि 01 माह की दर्शायी गई है। 01 माह में इतना अधिक बिल आना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ विद्युत बिल में विलम्ब अधिभार शुल्क भी जोड़ा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने एवं आवश्यक मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 24.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4603 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 08/2025 एवं 09/2025 के विद्युत बिल में बिलिंग क्लर्क से त्रुटिपूर्ण रीडिंग की प्रविष्टि हो गई जिस कारण परिवादी को गलत विद्युत बिल

क्रमशः 2....

निर्गत हो गया। उक्त त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को रोल बैक करने हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 4511 / वि0वि0ख0(कि0) दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से आर.ए.पी.डी.आर.पी. उपाकालि0, देहरादून को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके उपरान्त परिवादी को माह 08 / 2025, 09 / 2025 एवं 10 / 2025 तक परिवादी के विद्युत बिल को संशोधित कर रू0 1,56,318.00 का निर्गत कर दिया गया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 143 / 2025–26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
केलाखेड़ा, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विकास खतरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3662461589415 (06 किलोवाट व्यवसायिक) का माह अगस्त 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें मनगढ़ंत केवीएएच पंचिंग और गलत तरीके से अनुचित राशि रू0 2068.47 के लिए कम पॉवर फैक्टर अधिभार लगाया गया। उनके उक्त परिसर पर कोई मोटिव लोड नहीं जुड़ा है और उनका औसतन पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। पीएफ सरचार्ज की गलत वसूली को ठीक करने हेतु कई बार विभगीय कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित एम.आर.आई. रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गई। विद्युत बिल लगातार बढ़ता जा रहा है जिस पर विलम्ब शुल्क भी लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025 व 25.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—3385 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा दिनांक 22.09.2025 को उपलब्ध करायी गयी एम.आर.आई. रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि वर्तमान में परिवादी के विद्युत मापक में प्रदर्शित 26432 केवीएएच रीडिंग है जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के माह अगस्त के विद्युत बिल में प्रदर्शित रीडिंग 24592 केवीएएच सही प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिल में पावर फैक्टर गलत होने के कारण रू0 2068.47 की अतिरिक्त धनराशि लगाने की शिकायत की गई है, जिसे परिवादी के माह अगस्त के विद्युत बिल को जांचने पर ज्ञात हुआ है कि उनके विद्युत बिल में पॉवर फैक्टर 2068.47 अंकित है, जो ऑनलाईन सिस्टम में तकनीकी त्रुटि के कारण अंकित हुआ है। जिसका परिवादी के विद्युत बिल में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ा गया है। परिवादी के माह अगस्त के विद्युत बिल में रू0 2068.47 की कोई भी अतिरिक्त धनराशि नहीं ली गई है। परिवादी द्वारा माह अगस्त 2025 एवं सितम्बर 2025 के विद्युत बिलों का भुगतान भी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार का एलपीएस नहीं लगाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के माह अगस्त के बिल में 24592 केवीएएच रीडिंग अंकित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के मापक में वर्तमान रीडिंग 26432 केवीएएच अंकित है, जिससे परिवादी के माह अगस्त के बिल में अंकित रीडिंग 24592 केवीएएच की पुष्टि होती है। अतः इस मंच का मत है कि एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर निर्गत बिल पर परिवादी की देयता बनती है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब दावे में स्पष्ट किया है कि परिवादी को प्रेषित बिल में पावर फैक्टर के कॉलम में त्रुटिवश रू0 2068.47 अंकित हो गया है, हालांकि बिल में उक्त धनराशि नहीं जोड़ी गई है। अतः स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि के कारण लो पावर फैक्टर के संबन्ध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका कोई भी प्रभाव बिल की गणना में नहीं पड़ा है। विपक्षी विभाग के जवाब दावे पर परिवादी द्वारा भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्तानुसार परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मर्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 146/2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
ग्राम निजामगढ़, जसपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS6H240119575 (15 किलोवाट व्यवसायिक) का माह जुलाई 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें फर्जी केवीएएच दर्ज करते हुए कम पॉवर फैक्टर अधिभार लगाया गया जिसके एवज में अनुचित धनराशि रू0 2205.64 बिल में जोड़ी गई। माह अगस्त 2025 के विद्युत बिल में भी फर्जी केवीएएच के आधार पर गलत तरीके से पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क रू0 3384.42 जोड़ा गया है। जबकि उनके उक्त परिसर पर कोई मोटिव लोड नहीं जुड़ा है और औसतन पॉवर फैक्टर 95 प्रतिशत से ज्यादा रहता है। उन्होंने गलत पीएफ सरचार्ज को ठीक कराने हेतु कई बार विभगीय कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित एम.आर.आई. रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गई। विद्युत बिल लगातार बढ़ता जा रहा है जिस पर विलम्ब शुल्क भी लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025 व 25.10.2025 को परिवादी

क्रमशः 2....

अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री शेलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3163 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को जारी विद्युत बिल दिनांक 16.07.2025 की केडब्लूएच रीडिंग 60380 एवं बिल दिनांक 28.08.2025 की केडब्लूएच रीडिंग 64747 की गणना एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर करने पर पाठयांक सही पाये गये है। साथ ही अन्य सरचार्ज कम पॉवर फैक्टर से सम्बन्धित कोई त्रुटि बिल में नहीं पायी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के उक्त दो प्रश्नगत बिलों में अंकित रीडिंग 60380 केडब्ल्यूएच एवं 64747 केडब्ल्यूएच सही हैं। साथ ही, उक्त बिलों में लो–पावर फैक्टर मद में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं जोड़ी गई है। इस मंच का मानना है कि एमआरआई रिपोर्ट से पुष्ट रीडिंग्स के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 155/2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती भारती देवी पत्नी श्री गिरवर सिंह, परिवादी
गोतम नगर, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती भारती देवी पत्नी श्री गिरवर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371AMH1088590 (02 किलोवाट घरेलू) का माह मार्च 2025 का विद्युत बिल 1998 यूनिट दर्ज करते हुए रू0 13601.00 का बनाया गया था, जो बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा बिल व मीटर सम्बन्धी ऑनलाईन शिकायत दर्ज करायी गई थी, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके द्वारा उक्त विद्युत संयोजन पर माह जुलाई में सौलर पेनल भी लगवाया गया है, जिसके उपरान्त उत्तराखण्ड सरकार की योजना के अन्तर्गत विद्युत बिल में समयोजन दिया जाना चाहिए था जो विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने एवं बिल में सोलर पैनल की यूनिट का समायोजन दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025, 25.10.2025 व 07.11.2025 को परिवादिनी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7809 दिनांक 24.10.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के सोलर विद्युत बिल को चैक मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार रू0 29074.00 को समायोजित कर दिया गया है। साथ ही माह 03 / 2025 में निर्गत 1998 यूनिट को आईडीएफ के आधार पर संशोधित कर रू0 6558.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 158 / 2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती अल्का चौहान पत्नी श्री राजीव कुमार, परिवादी
चीना फार्म, ढकिया गुलाबों, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अल्का चौहान पत्नी श्री राजीव कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372AJU2758116 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल में श्रीमती अल्का चौहान पत्नी श्री रमेश सिंह चौहान लिखा आ रहा है, जो उनके पिता है। जबकि उनके पति का नाम श्री राजीव कुमार है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल में श्रीमती अल्का चौहान W/o श्री राजीव कुमार या श्रीमती अल्का चौहान D/o श्री रमेश सिंह चौहान का नाम दर्ज करते हुए बिल विवरण संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025, 25.10.2025 व 07.11.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7591 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी को नाम संशोधन कराने हेतु लिखित प्रत्यावेदन के साथ आधार कार्ड एवं विद्युत बिल की छायाप्रति उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उपखण्ड कार्यालय में आज तक परिवादिनी द्वारा विभागीय नियमानुसार उक्त

क्रमशः 2....

प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिस कारण नाम संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादिनी को प्रेषित लिखित पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित बिलों में परिवादिनी के पति का नाम गलत अंकित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुए नाम में संशोधन हेतु परिवादिनी से नियमानुसार वांछित दस्तावेज मांगे गए हैं। अतः इस मंच का मत है कि परिवादिनी द्वारा उक्त वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर विपक्षी द्वारा परिवादिनी के पति का सही नाम अंकित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी द्वारा समुचित वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर अपने बिलिंग साफ्टवेयर में परिवादिनी का सही एवं वास्तविक नाम अंकित करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 144/2025–26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
सितारगंज रोड, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड सीओ श्री निशांत कुमार की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH0K000121751 (08 किलोवाट व्यवसायिक) का माह जुलाई 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें 31.53 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दर्ज करते हुए राशि रू0 10353.20 अतिरिक्त मांग शुल्क जोड़ा गया है। जबकि उनका विद्युत भार कभी भी कनेक्टेड लोड से अधिक नहीं रहा है। विद्युत बिल में गलत तरीके से लगाये गये अधिकतम मांग शुल्क को सही कराने के लिए कई बार विभगीय कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित एम.आर.आई. रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गई। विद्युत बिल लगातार बढ़ता जा रहा है जिस पर विलम्ब शुल्क भी लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1663 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन की एम.आर.आई. रिपोर्ट करवाकर वर्तमान से पिछले कई माहों का अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि परिवादी द्वारा निरन्तर स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपभोग किया जा रहा है एवं वहां पर कार्यरत ऑपरेटर / पत्रवाहक को भी अवगत करा दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत बीजक एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर ही बनाया जा रहा है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के विद्युत संयोजन का संविदाकृत भार 08 किलोवाट है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित माह 07 / 2025 के विद्युत बिल में **Demand Charges for Excess Load** के रूप में रू0 10,353.20 की धनराशि जोड़ी गई है। परिवादी का कथन है कि उनके द्वारा अपने संयोजन पर कभी भी संविदाकृत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग नहीं किया गया है तथा विपक्षी विभाग द्वारा **Demand Charges for Excess Load** के रूप में रू0 10353.20 की धनराशि गलत व मनमाने ढंग से जोड़ी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दावा किया गया है कि परिवादी द्वारा लगातार संविदाकृत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके एवज में बिल में उक्त धनराशि जोड़ी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.09.2025 को परिवादी के मापक में 26.09 केडब्ल्यू व 26.10 केवीए अधिकतम मांग दर्ज हुई है, जोकि उसके संविदाकृत भार से अधिक है। दिनांक 30.06.2025 से 04.09.2025 तक के **Load Survey-Demand Report** से से भी इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादी द्वारा लगातार अपने संविदाकृत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया गया है। इस मंच का मानना है कि विपक्षी विभाग द्वारा एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल सही एवं नियमानुकूल है, जिस पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंगाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 166 / 2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ममता गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी, परिवादी
पशुपति विहार, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ममता गुलाटी पत्नी श्री मुकेश गुलाटी का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372KRD2578364 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल का भुगतान ऑनलाईन धनराशि रू0 2000.00 किया गया है। उनके खाते से पैसे कट गये है, लेकिन यूपीसीएल पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल भुगतान को अपडेट कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 15.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.11.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7787 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 14.10.2025 को बिल के सम्बन्ध में ऑनलाईन के माध्यम से धनराशि रू0 2000.00 भुगतान किया गया था, जो विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा था। वर्तमान में परिवादिनी द्वारा किए गये भुगतान धनराशि रू0 2000.00 को परिवादिनी के लेजर में अपडेट कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—166 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 171 / 2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री गौरी शंकर, परिवादी
वार्ड नं0 36, आदर्श कालोनी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री गौरी शंकर का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892B466131827 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिनांक 22.09.2025 को बिल रू0 4419.00 का बनाया गया है, जो बहुत अधिक था, जिसका भुगतान भी करा दिया गया है। इसके उपरान्त विभाग द्वारा रू0 8215.00 का बिल प्रेषित किया गया जो बहुत अधिक है, इसके भुगतान करने की तिथि दिनांक 06.11.2025 है। वह एक गरीब विधवा महिला है, जो अपनी पेंशन से अपना पालन–पोषण कर रही है, उनके घर में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं जिस वजह से इतना अधिक बिल आये। वह इतना अधिक बिल देने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 24.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 को परिवादिनी स्वयं के साथ विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एंव श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4663 दिनांक 06.11.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत बिल विवरण जांचने पर पाया कि परिवादिनी द्वारा पिछले बिल का भुगतान धनराशि रू0 4293.00 वर्तमान बिल में जुड़कर आने की वजह से परिवादिनी का विद्युत बिल रू0 8596.00 का प्रेषित किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में परिवादिनी के माह 09/2025 के विद्युत बिल रू0 4293.00 को समयोजित करते हुए संशोधित बिल रू0 3880.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है; विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 175/2025–26 दिनांक : 28.11.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कालू पुत्र श्री बाबू राम, परिवादी
रविन्द्रनगर, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री कालू पुत्र श्री बाबू राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B321081511 (01 किलोवाट घरेलू) का माह अक्टूबर 2025 का बिल गलत पाठयांक के आधार पर जारी किया गया है। बिल के अनुसार वर्तमान रीडिंग 7090 केडब्लूएच दिखाई गई है, जिसकी कुल खपत 1254 यूनिट प्रदर्शित है। जबकि वास्तविक विद्युत मीटर का पाठयांक 5927 केडब्लूएच है और पिछली रीडिंग 5836 केडब्लूएच थी, यानि वास्तविक विद्युत खपत 91 यूनिट होनी चाहिए थी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 25.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4660 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 10/2025 के विद्युत बिलिंग एजेंसी द्वारा त्रुटिवश वर्तमान में गलत रीडिंग 7090 केडब्लूएच दर्ज कर धनराशि रू0 10296.00 का विद्युत बिल

क्रमशः 2....

निर्गत किया गया। निर्गत विद्युत बीजक की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में उक्त परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक का पाठयांक 5931 केडब्लूएच है, जिसके आधार पर परिवादी को जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को संशोधित करते हुए रू0 1165.00 का बना दिया गया है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 159 / 2025–26 दिनांक : 06.11.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री नारायण पाल, परिवादी
श्यामपुरम कॉलोनी, बाजपुर रोड, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री चन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री नारायण पाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372KVS2100031 (03 किलोवाट घरेलू) पर भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अन्तर्गत अपने उक्त परिसर पर तीन किलोवाट भार का सौलर पेनल भारतीय स्टेट बैंक, काशीपुर से लोन रू0 1,85,000.00 लेकर लगवाया गया। इसके उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2025 को सोलर स्मार्ट मीटर संख्या–12027898 स्थापित किया गया तथा उसके साथ ही चैक मापक संख्या–SS17914770 भी स्थापित किया गया। सोलर मापक दिनांक 11.06.2025 में स्थापित होने के बाद से वर्तमान तक कोई भी बिल जारी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त विद्युत संयोजन में सोलर अपडेट न होने की वजह से बिल जारी नहीं हो पा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित सोलर मापक का विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 25.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025 व 25.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के

क्रमशः 2....

तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7789 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित सोलर मापक के पाठयांक के आधार पर संशोधित बिल रू0 (–) 953.72 जारी कर दिया गया है। परिवादी द्वारा ई–मेल के माध्यम अपनी संतुष्टि भी प्रकट की गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी का संतुष्टि पत्र, संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र पयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य